उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2-222/ग्यारह–9(223)/2012–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(129)–2015
लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में दिनांक 14 फरवरी, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 11 की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
11	चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा (जिसमें पिटलूम, फ्रेमलूम, लाईट शटल लूम एवं पैडल लूम सम्मिलित हैं), खादी/खद्दर एवं हैण्डलूम वस्त्रों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं उनके पार्ट्स आदि; खादी फैब्रिक्स आफ आल काइन्ड्स, गांधी टोपी, खादी गार्मेंट्स एण्ड खादी मेड अप्स जिसमें बिना भरे रजाई के खोल, बिना भरे गद्दे के खोल, बिना भरे गद्दी के खोल एवं बिना भरे तकिया के खोल सम्मिलित हैं; **खादी के रुई भरे हुए गद्दे, रजाई, मसनद एवं तकिया।**

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।